No. A-12019/1/2019-VSP(A)
Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department
Vidhi Sahitya Prakashan

Indian Law Institute Building, Bhagwan Dass Road, New Delhi.
Dated : 9thMay, 2019

To

Subject: Recruitment of two(02) posts of Assistant Editor (Group A, Gazetted), four(04) posts of Personal Assistant(Stenographer)(Group B, Non-Gazetted) and one(01) post of Accountant (Group B, Non-Gazetted) in Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice on deputation(including short term contract/absorption basis(number of vacancies may increase/decrease).

Sir.

I am directed to state that there are following vacant posts belonging to General Central Service, which are to be filled up urgently in Vidhi Sahitya Prakashan. Legislative Department, Ministry of Law and Justice on deputation/absorption basis on usual terms:-

Assistant Editor (02)

There are two(02) vacant posts of Assistant Editor, Group Á' posts of in the pay scale of Rs. 67700-208700, Level 11 in Pay Matrix of Seventh Pay Commission (Pre-revised PB-3, Rs.15600-39100+grade pay 6600/-)

2. The appointment will be made on deputation (including short-term contract)/absorption from the officers of Central Government/State Government or Union territories or Recognized Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:-



- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) With 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs.8000-13500/grade pay of Rs. 5400/- (pre-revised) or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:
 - (i) Bachelor's Degree in Law from a recognised University or equivalent:
 - (ii) (j) Seven years practice as an Advocate in a High Court; or
 - (k) Seven years experience in State Judicial Service; or
 - (l) Seven years experience in legislation and legal affairs in the Law Department of a State Government; or
 - (m)Seven years experience in the Legislative Department of the Central Government; or
 - (n) Seven years experience in editing in a Department concerned with Law Reports; or
 - (o) Seven years experience of legislative drafting; or
 - (p) Seven years experience of translation in Hindi of principal and subordinate legislation; or
 - (q) Seven years experience in teaching or research in Law; or
 - (r) Master's Degree in Law from a recognized University or equivalent with eight years experience in teaching or research in Law; and
- (B) had studied Hindi as a compulsory or elective subject at Bachelor's Degree level from a recognised University or equivalent and ability to translate and edit Court Judgements in Hindi.



Personal Assistant(Stenographer)(04)

There are four (04) vacant posts of Group 'B' (Non-Gazetted) posts of Personal Assistant (Stenographer) in Level 7 of pay matrix of 7th CPC pay scale of Rs. 44900-142400 (pre-revised pay band-2 with pay scale of Rs.9300-34800+ Grade Pay of Rs. 4600) belonging to General Central Service, is to be filled up urgently on deputation/absorption basis.

- 2. The appointment will be made by deputation/absorption basis from among the Officers of the Central Government or State Government or Union Territories:-
 - (b) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent the parent cadre or department; and
 - (b) possessing the following qualifications and experience:-

Essential

- (j) Passed the Matriculation or equivalent Examination from a recognized Board or University or equivalent: and
- (ii) Possessing a speed of 100 words per minute in Hindi Stenography.

Desireable:

- (i) Bachelor's Degree with Hindi as an elective/compulsory subject from a recognized University or equivalent and
- (ii) Knowledge of computer operation.

Accoutant(01)

There is one (01) vacancy of Group 'B' (Non-Gazetted) post of Accountant in the pay scale of Rs. 35400-112400/-, Level-6 of 7th CPC(the pre-revised pay band-2 with pay scale of Rs.9300-34800+ Grade Pay of Rs. 4200/-)

- 2. The appointment will be made by deputation basis from among the Officers of the Central Government:-
 - (A) (a) (i) Upper Division Clerk of Central Secretariat Clerical Service in the pre-revised pay band-I Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400/-, now level-4 of 7th CPC with eight years' regular service in the grade and who have undergone training in Cash and Accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) and possessing two years experience of cash, accounts and budget work; failing which



- (B) Officers under the Central Government
 - (a) (i) holding analogous post of regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in pay band-I (Rs. 5200-20200) plus grade pay of Rs. 2800 (pre revised) now Level-5 of 7th CPC in the parent cadre or department; or or equivalent in the parent cadre or department;
- (iii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pre-revised pay band-I Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400/-, now level-4 of 7th CPC or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent or possess two years' experience of cash, accounts and budget work; or
- 3. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
- 4. The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- 5. Pay of the officer selected for the post will be regulated in accordance with the provisions contained in the Govt. of India, Department of Personnel and Training, O.M. No.2/29/91-Estt. (Pay.II), the 5th January, 1994, as amended from time to time.
- 6. It is requested that applications in the enclosed proforma (Annexure) from eligible and suitable persons whose service can be spared, if selected, may be forwarded to this Prakashan along with their up-to-date character rolls (for the last five years), vigilance clearance, integrity certificate etc., so as to reach the undersigned within 60 days from the date of its publication in the 'Employment News.' Vacancy circular is available on the website of this department link http://lawmin.nic.in/legislative department/vsp Those who apply for the post will not be allowed to withdraw their names later on.
- 7. Hindi version is enclosed.

(Debadutta Behera) Under Secretary to the Govt. Of India Tel. 011-23385291

ANNEXURE

1. Name of the Officer:
2. Post for which to be considered:
3. Date of Birth:
4. Educational Qualifications:
5. Present post held (with pay scale and date of appointment):
6. Permanent post held:
7. Brief particulars of service with nature of duties performed and experience:
8. Whether officer belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community:
9. Present Address:
10. Tel./Mob. No./Email ID
11. Remarks:
Signature of the Candidat
DEPARTMENTAL ENDORSEMENT
Certified that the information given by Shri/Smt/Ms
Cinnadana
Signature
Name
Desgination
Department
Date:

h

फाइल सं. ए.12019/1/2019-वि.सा.प्र(प्रशा)

भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग विधि साहित्य प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान भवन भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली दिनांक : भैंमई, 2019

वा	में,																		
		 		 	 ٠.		 ٠.	٠.	٠.	٠.		 			 •	 	 	 	
		 	• •	 	 	٠.	 		٠.		٠.	 			 	 		٠.	

विषय: विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन के आधार पर सहायक संपादक के दो (02) पद (समूह 'क' राजपत्रित), निजी सहायक (आशुलिपिक) (समूह 'ख' अराजपत्रित) के चार (04) पद और , लेखाकार (समूह 'ख' अराजपत्रित) के एक (01) पदों पर भर्ती । (रिक्तियों की संख्या घटाई/बढाई जा सकती है)

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन में प्रतिनियुक्ति/आमेलन के निंबधनों के आधार पर केन्द्रीय साधारण सेवा से संबधित निम्नलिखित पदों को शीघ्रतापूर्वक भरे जाने है।

सहायक संपादक दो (02) पद:

वेतनमान 67700-208700, लेवल-11, - 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स (वेतन बैंड 3, तथा 15,600-39,100 रुपए जमा ग्रेड वेतन 6,600 रुपए (10,000-325-15,200 रु. पूर्व निर्धारित) के वेतनमान में सहायक संपादक समूह 'क' के दो पदों की रिक्ति ।

- 2. नियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविधालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अल्पसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन के आधार पर की जाएगी:-
 - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए है; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8000-13500 रुपए (पूर्व निर्धारित)/5400 रु. के वेतनमान या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और



- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों;-
- (अ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से विधि में स्नातक या समतुल्य;
 - (ii) (क) उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सात वर्ष का विधि व्यवसाय; या
 - (ख) न्यायिक सेवा में सात वर्ष का अन्भव ; या
 - (ग) राज्य सरकार के विधि विभाग में विधायन या विधि कार्य में सात वर्ष का अनुभव; या
 - (घ) केन्द्रीय सरकार के विधायी विभाग में सात वर्ष का अनुभव; या
 - (इ) विधि रिपॉटों से संबंधित विभाग में संपादन का सात वर्ष का अनुभव; या
 - (च) विधायी प्रारुपण का सात वर्ष का अन्भव; या
 - (छ) मूल और अधीनस्थ विधान का हिंदी में अनुवाद का सात वर्ष का अनुभव ; या
 - (ज) विधि में अध्यापन या अनुसंधान में सात वर्ष का अनुभव ; या
 - (झ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य और विधि में अध्यापन या अन्संधान में आठ वर्ष का अनुभव ; और
- (आ) जिसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय वैकल्पिक या अनिवार्य विषय के रुप में पढ़े हो या समतुल्य और जिनके पास हिंदी न्यायालय निर्णयों के अनुवाद और संपादन करने की योग्यता हो।

निजी सहायक (आशुनिपिक) चार (04) पद:

निजी सहायक समूह 'ख' अराजपजित्रत वेतनमान रु. 44900-142400 के सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स लेवल-7,(पूर्व संधोधित वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. के वेतनमान + ग्रेड वेतन 4600 रु.) के रिक्त पद प्रतिनिय्क्ति/आमेलन पर शीघ्रतापूर्वक भरे जाने हैं।

- 2. नियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अधीन के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के आधार पर की जाएगी:-
 - (क) (1) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए है; या
 - (2) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5000-8000 रुपए (पूर्व निर्धारित) के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है;
 - (ख) निम्न विहीत शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव होने चाहिए ;-

अनिवार्य

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या बोर्ड से मैट्रिककुलेशन या समतुल्य परीक्षा उतीर्ण की हो,
- (2) हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।



वाछंनीय

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से हिन्दी के साथ वैकल्पिक/अनिवार्य विषय में स्नातक डिग्री
 - (2) कंम्पूटर प्रचालन का ज्ञान।

लेखाकार एक (01) पदः

7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स वेतनमान 35400-112400, लेवल-6, - पूर्व संधोधित वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. के वेतनमान + ग्रेड वेतन 4200 रु.) की रिक्ती को प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर शीघ्रतापूर्वक भरा जाना हैं।

नियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अधीन के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के आधार पर की जाएगी:-

- (अ) (i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा का ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने वेतन बैंड-1 में, रु. 5200-20200+ ग्रेड वेतन रु. 2400 में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और जिसके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो, जिसके न हो सकने पर
 - (आ) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी,
 - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए ह्ए हैं;
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-में, रू. 5200-20200+ ग्रेड वेतन रु. 2800 में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और
 - (iii) जिसने वेतन बैंड-1 में, रु. 5200-20200+ ग्रेड वेतन रु. 2400 में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो

जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और जिसके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो

- (2) प्रतिनियुक्ति की अविध, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।-
- (3) प्रतिनुयक्ति/ आमेलन प नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथा संशोधिक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था(वेतन-2) तारीख 05 जनवरी,1994 में यथा अंतविष्ट निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगी।
- (5) यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे पात्र व्यक्तियों की, जो अपेक्षित अर्हता पूरी करते हैं और जिनके लिए उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता हो और जिन्हें तुरंत सेवामुक्त किया जा सकता हो, विशिष्टियां इसके साथ संलग्न प्रोफार्मा में इस प्रकाशन को उनके पिछले 5 वर्ष की सतर्कता निर्बाधन, निष्ठा प्रमाण-पत्र विगत 10 वर्षों का अशास्ति प्रमाश पत्र (यह समस्त प्रमाण पत्र पृथक कागजों पर दिए जाने चाहिए) और पिछले 5 वर्षों की अधतन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक व्यक्तिगत मूल्यांकन रिपोर्ट जिसको अवर सचिव के स्तर के नीचे के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित न किया गया हो, के साथ इस प्रकार भेजें कि वे 'रोजगार समाचार' में



प्रकाशन की तारीख से दो माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाएं। । विस्तृत विज्ञापन http://lawmin.nic.in/legislative department/vsp से डाउनलोड किया जा सकता है।

(6) जो आवेदक उक्त पदों के लिएं आवेदन करेंगे, उन्हें बाद में अपना नाम वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी।

भवदीस् 2

अवर सचिव , भारत सरकार

प्रोफार्मी

- 1. अधिकारी का नामः
- 2. पद, जिसके लिए विचार किया जाना है:
- 3. जन्म-तिथि:
- 4. शैक्षिक अर्हताः
- 5. वर्तमान धारित पद (नियुक्ति की तारीख वेतनमानन सहित):
- 6. धारित स्थायी पदः
- 7. किए गए कार्यों की प्रकृति और अनुभव सहित, सेवा की संक्षिप्त विशिष्टियाः
- क्या अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिः
- 9. वर्तमान पताः
- 10. टेलीफोन नः/मोबाइल नः/ईमेल:
- 11. टिप्पणियाः

अभ्यार्थी के हस्ताक्षर

विभागीयय पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है किं श्री/श्रीमती/सुश्री निजी सहायक द्वारा दी गई
जानकारी सही है और विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में निजी सहायक
के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरम द्वारा नियुक्ति के लिए उनका चयन होने की दशा में उन्हें
कार्यम्क कर दिया जाएगा। उसके विरुद्ध सतर्कता की दृष्टि से कुछ मामला नहीं है और पिछले दस वर्ष के
दौरान उस पर कोई मुख्य/अल्पशास्ति अधिरोपित नहीं की गई है। संबधित अधिकारी पिछले पांच वर्षों की
वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट संलग्न है।

इस्ताक्षर	
नाम	
पदनाम	
विभाग	

